जवाहर नवोदय विद्यालय
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, f
शिक्षा विभाग,भारत सरकार का स्वायत्त संगठन)
भोगॉव, जनपद–मैनपुरी–205262(उ0प्र0)
JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA
(An Autonomous Organization of Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
Bhogaon District-Mainpuri-205262 (UP)

एफ.1–9/जनविफि/2018–19/ दनाँकः–............................

विद्यालय वाहन संविदा आधार पर

निविदा प्रपत्र वर्ष –2018–19

धरोहर धनराषि रूपये 25000/–

आपूर्तिकर्ता/फर्म/डीलर का नाम ---

यूपीएसटी/सीएसटी संख्या ---

वाहन का नाम	मॉडल किस वर्ष का है (2018 या उसके बाद)	किराया प्रति माह

कृपया नीचे दी गई शर्तों को ध्यान से पढ़ लें केवल सभी शर्तें मान्य होने की दशा में ही निविदा भरें। यदि शर्तों का पालन किसी भी स्तर पर नहीं होता है तो निविदा समाप्त समझी जायेगी।

01. वाहन वार्षिक आधार पर वर्ष में 10 माह(जुलाई 2018 से अप्रैल 2019 तक) महीने की अवधि के लिए 24 घण्टे के आधार पर किराये पर लिया जायेगा।
02. वाहन 2018 या उसके बाद का होना चाहिए। वाहन में चार–पांच व्यक्तियों के बैठने की जगह एक अस्वस्थ छात्र/छात्रा को सुविधापूर्वक ले जाने की जगह तथा दस कुन्तल भार ले जाने की क्षमता हो। इसका रख–रखाव वाहन मालिक द्वारा समूचित ढ़ंग से किया जायेगा।
03. वाहन चालक सहित किराये पर होगा। चालक को ड्राइविंग लाइसेंस साथ रखना होगा।
04. जवाहर नवोदय विद्यालय केवल उसी मूल्य के डीजल का वहन करेगा जितनी दूरी तक वास्तविक रूप से वाहन को कार्यालयी प्रयोग में लाया जायेगा। अन्य सभी जिम्मेदारियां जिसमें–ड्राइवर का पारश्रमिक ब्रेकतेल, मोबिल ऑयल रख–रखाव/मरम्मत और सर्विसिंग, मोटर वाहन एक्ट जैसे –श्रम कानून, मार्गकर, बीमा,प्रदूषण बोर्ड से निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र इत्यादि की जिम्मेदारी पूर्णतया वाहन मालिक की होगी।
05. किराये की राशि का भुगतान मासिक आधार पर किया जायेगा तथा वाहन की पार्किंग विद्यालय परिसर में की जायेगी।
06. वाहन के रख–रखाव हेतु माह में एक दिन का अवकाश दिया जाएगा। इससे अधिक समय लगने पर वाहन स्वामी को अन्य वाहन अतिरिक्त समय हेतु उपलब्ध कराना होगा। अन्यथा कम से कम 400–00 प्रति दिन अथवा वास्तविक खर्च जो भी अधिक होगा वह वाहन स्वामी के किराए से काट लिया जाएगा।

07. वाहन का टैक्सी परमिट होना अनिवार्य है। वाहन का प्रयोग उत्तर प्रदेश राज्य तक सीमित होगा।

08. निविदा फार्म के साथ धरोहर राशि के रूप में रू 25000/– का बैंक ड्राफ्ट जो प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय, भोगॉव, मैनपुरी के पक्ष में देय तथा भोगॉव में भुगतान योग्य हो संलग्न करना अनिवार्य होगा। धरोहर राशि संलग्न न करने पर निविदा निरस्त की जा सकती है। वाहन से संबंधित सभी कागजात की छायाप्रतियां जो स्वप्रमाणित हों, को निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

09. वाहन मालिक अच्छी सेवा के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होगा। सेवा संतोष जनक न होने पर उपायुक्त/प्राचार्य को संविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

10. ड्राइवर के अच्छे आचरण न होने पर वाहन मालिक पूर्णतः जिम्मेदार होगा यदि प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय के मतानुसार चालक का आचरण अनुचित/असंतोषजनक पाया जाता है तो उपायुक्त/प्राचार्या को संविदा को निरस्त कर यथोचित वैधानिक कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा।

11. वाहन स्वामी को कुल भुगतान का 2.06 प्रतिशत आयकर के रूप में प्रतिमाह काटकर भुगतान किया जाएगा।

12. वाहन का एवरेज 12 कि0मी0 प्रति लीटर होना चाहिए। इससे कम एवरेज आने पर उसकी भरपाई आपके बिल से की जाऐगी।

(सुषमा सागर)
प्राचार्य

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं .... प्रोपराटर/मालिक/फर्म .... पूरा पता .... पंजीकरण

संख्या .... एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि निविदा प्रपत्र में उल्लेखित शर्तें/हमें मान्य हैं। उपर्युक्त शर्तों को पूर्णरूप से स्वीकार करते हुए निविदा प्रस्तुत की जा रही है।

01. डी0डी0 संख्या ....दिनांक................................ रू0 .... शब्दों में ....

02. अदाकर्ता बैंक का नाम ....

दिनांक .... निविदादाता के हस्ताक्षर ....

स्थाना .... निविदादाता का नाम ....

टेलीफोन नं0 .... पता ....

मो0नं0 ....

....

फर्म की मोहर ....